भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधि कार्य विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3136
जिसका उत्तर गुरुवार, 27 मार्च, 2025 को दिया जाना है

अधिवक्ता अकादमी की स्थापना

3136 श्री निरंजन बिशी :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा ओडिशा राज्य में अधिवक्ता अकादमी के विकास के लिए कोई धनराशि आवंटित की गई है ;

(ख) यदि हां, तो आवंटित धनराशि कितनी है और ऐसी अकादमी के विकास के लिए इसका उपयोग किस प्रकार किया जाएगा ;

(ग) क्या ओडिशा में एक समर्पित अधिवक्ता अकादमी की स्थापना के लिए कोई योजना या प्रस्ताव है ; और

(घ) ओडिशा में ऐसी अकादमियों या समरूप संस्थाओं के माध्यम से अधिवक्ताओं के लिए क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण कार्यक्रमों को प्रोत्साहन देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (ख) : ऊपर उल्लिखित प्रश्न क संबंध में यह उल्लेख है कि अधिवक्ता अधिनियम, 1961, अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 2001 और संबंधित राज्य कल्याणकारी अधिनियमों, भारतीय विधिज्ञ परिषद् और राज्य विधिज्ञ परिषद् विभिन्न अत्यावश्यकताओं में अधिवक्ताओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सशक्त हैं ।अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 6(2) और धारा 7(2) के उपबंधों के अनुसार, क्रमश: राज्य विधिज्ञ परिषद् और भारतीय विधिज्ञ परिषद् (बीसीआई) को, दरिद्रों, दिव्यांगजन या अन्य अधिवक्ताओं के लिए कल्याणकारी स्कीमें आयोजित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के प्रयोजन हेतु विहित रीति में एक या अधिक निधि का गठन करने की शक्ति प्राप्त है ।इस संबंध में, कुछ राज्य सरकारों ने, अधिवक्ताओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए अपनी-अपनी राज्य अधिनियमितियों के अधीन 'अधिवक्ता कल्याण निधि' और अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति का भी गठन किया है ।

ओड़िशा सरकार ने, ओडिशा कल्याण निधि अधिनियम, 1987 का गठन किया है ।भारत सरकार के पास ओड़िशा राज्य में अधिवक्ता अकादमी के विकास के लिए कोई विनिर्दिष्ट निधि नहीं है ।

(ग) : भारतीय विधिज्ञ परिषद् और संबंधित राज्य विधिज्ञ परिषदें अपने न्यास के माध्यम से, विधिक शिक्षा और विधिक वृत्ति के मानकों को ऊपर उठाने के लिए देश में सतत् विधिक शिक्षा और विधिक वृत्ति में क्रांति लाने के लिए ऐसा प्रयास करेंगी ।

(घ) : भारतीय विधिज्ञ परिषद् ने यह सूचित किया है कि विभिन्न अकादमियों और संस्थाओं के माध्यम से अधिवक्ताओं के लिए क्षमता-निर्माण और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में वृद्धि करने के लिए विभिन्न पहलें कार्यान्वित की गई हैं ।विशेषकर, पुरी में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सेवा (डीएलएसए) ने पैनल वकीलों के लिए क्षमता-निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जिसका उद्देश्य उनके कौशल और ज्ञान में सुधार करना था ।

भारतीय विधिज्ञ परिषद् के मार्गदर्शन के अधीन विधिक शिक्षा केंद्र निरंतर विधिक शिक्षा, वृत्तिक कौशल विकास के लिए भी विभिन्न कार्यक्रम संचालित करते हैं जिनमें उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के माननीय आसीन और भूतपूर्व न्यायाधीश, प्रसिद्ध विधि वेत्ता विख्यात ज्येष्ठ अधिवक्ता, बार के सुविख्यात नेता, और भारत तथा विदेश दोनों से विधिक शिक्षा के प्रतिष्ठित अध्यापक सम्मिलित होते हैं ।उनका ध्यान अधिगम अनुभवों के माध्यम से परिवर्तनशील ज्ञान, कौशल या दृष्टिकोणों पर केंद्रित होता है ।यह पहल लक्ष्यित प्रशिक्षण और क्षमता-निर्माण कार्यक्रम के माध्यम से अधिवक्ताओं के वृत्तिक विकास को बढ़ाने के लिए एक संयुक्त प्रयास को दर्शाता है ।

****